

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)**  
**—:: कार्य विभाजन आदेश ::—**

क्रमांक—..... / एक—11—1 / 85

दमोह दिनांक.....

मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्राप्त प्राधिकारों एवं शक्तियों के प्रयोग में, इस संबंध में पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश/संशोधित आदेशों को अतिष्ठित करते हुये मैं, **रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह, (म.प्र.)** सिविल जिला दमोह एवं सत्र खण्ड दमोह के स्थानीय क्षेत्र एवं जिले की तहसीलों में स्थित सिविल, अपर सत्र न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच निम्नानुसार कार्य विभाजन (Distribution of Business) लागू करती हूँ :—

| क्र० | न्यायालय   | क्षेत्राधिकार का नाम   | प्रकरण का प्रकार जिनका विचारण किया जाना है   |
|------|--|--|--|
| 1    | 2  | 3  | 4  |
| 1    | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दमोह | संपूर्ण सत्र खंड एवं सिविल जिला दमोह                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 408 तथा 409 के अंतर्गत अंतरण आवेदन।</li> <li>सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अंतर्गत अंतरण आवेदन।</li> <li>म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिका /जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार की अन्य निर्वाचन याचिका।</li> <li>मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 26 के प्रकरण।</li> <li>खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण की क्षेत्राधिकारिता वाले प्रकरण।</li> <li>मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत प्रकरण।</li> <li>सती प्रथा निवारण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रकरण।</li> <li>सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य अन्य दाण्डिक प्रकरण/दाण्डिक कार्यवाहियां जिनका उल्लेख इस आदेश में अन्यत्र नहीं है।</li> <li>प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य अन्य सिविल प्रकरण/कार्यवाहियां, जिनका उल्लेख इस आदेश में अन्यत्र नहीं है।</li> </ol> |
|      |  | सम्पूर्ण सत्र खंड दमोह—तहसील क्षेत्र हटा, पटेरा एवं बटियागढ़ को छोड़कर | <ol style="list-style-type: none"> <li>सत्र प्रकरण।</li> <li>आपराधिक अपीलें।</li> <li>आपराधिक पुनरीक्षण।</li> <li>स्वयं के न्यायालय के सत्र प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण।</li> <li>जमानत आवेदन (विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामलों को छोड़कर)।</li> <li>माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्राप्त</li> </ol>  |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  | <p>विशेष दांडिक प्रकरण / दाण्डिक कार्यवाहियां।</p> <p>7. अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य दाण्डिक प्रकरण, जिनका उल्लेख इस आदेश में अन्यत्र नहीं है।</p>   |
|   |  | <p>सम्पूर्ण सिविल जिला दमोह— तहसील क्षेत्र हटा, पटेरा एवं बटियागढ़ को छोड़कर</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>व्य.प्र.सं. की धारा 96 के अंतर्गत नियमित सिविल अपील।</li> <li>व्य.प्र.सं. की धारा 104 के अंतर्गत विविध सिविल अपील।</li> <li>धारा 166 (2) मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत थाना—दमोह देहात, नोहटा, जबेरा, पथरिया एवं तेढूखेड़ा से उत्पन्न क्लेम प्रकरण।</li> <li>मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 (3) के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन।</li> <li>ग्राम न्यायालय से संबंधित सिविल अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियाँ।</li> </ol>  |
| 2 | <p><b>श्री शरतचंद्र सक्सेना,</b><br/>पीठासीन अधिकारी<br/>विशेष न्यायालय<br/>एस.सी, एस.टी<br/>(अत्याचार निवारण)<br/>अधिनियम दमोह,<br/>प्रथम जिला न्यायाधीश<br/>दमोह के अतिरिक्त<br/>न्यायाधीश</p> | <p>सिविल जिला सम्पूर्ण सत्र खण्ड, दमोह</p>                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित प्रकरण।</li> <li>अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत विचारण योग्य विशेष प्रकरण और समस्त प्रकार के आवेदन।</li> <li>स्वयं के न्यायालय के सत्र प्रकरणों/विशेष प्रकरणों से उद्भूत विविध दांडिक प्रकरण।</li> </ol>   |
| 3 | <p><b>श्री संजय कस्तवार</b><br/>प्रथम जिला एवं अति.<br/>सत्र न्यायाधीश, दमोह</p>   | <p>सिविल जिला एवं सम्पूर्ण सत्र खण्ड, दमोह</p>                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित प्रकरण।</li> <li>प्रथम जिला न्यायाधीश जिला दमोह के द्वारा निराकृत सिविल मामलों से संबंधित सिविल मामले एवं क्लेम प्रकरणों से संबंधित विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण, प्रतिकर राशि के भुगतान से संबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहियां।</li> <li>प्रथम जिला न्यायाधीश दमोह के द्वारा निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां/विविध दांडिक प्रकरण।</li> <li>माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार विशेष न्यायाधीश की हैसियत से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त विशेष प्रकरण और आवेदन।</li> </ol> |
| 4 | <p><b>डॉ श्रीमती आरती<br/>शुक्ला पाण्डेय,</b><br/>द्वितीय जिला एवं<br/>अति. सत्र न्यायाधीश,</p>  | <p>सिविल जिला एवं सम्पूर्ण सत्र खण्ड, दमोह</p>                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित प्रकरण।</li> <li>द्वितीय जिला न्यायाधीश दमोह के द्वारा निराकृत</li> </ol>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>दमोह तथा अनन्य विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 सत्र खण्ड दमोह</p> | <p>आपराधिक मामलों से संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां / विविध दाण्डिक प्रकरण।</p> <p>3. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जारी अधिसूचना क. ए/ 1806/ तीन-6-5/ 2010(एफटीएससीएस) सी.एस.एस. जबलपुर दिनांक 14.04.2022 के अनुसार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, (POCSO ACT.) के अंतर्गत सत्र खण्ड दमोह (जिला मुख्यालय दमोह एवं बाह्य स्टेशन पथरिया तथा तेंदूखेड़ा) (तहसील दमोह, पथरिया, तेंदूखेड़ा) क्षेत्रांतर्गत आने वाले आपराधिक मामलों की सुनवाई, रिमाण्ड एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहियां विशेष सत्र न्यायाधीश, (पॉक्सो अधिनियम, 2012) की जावेगी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) के अवकाश पर होने अथवा अनुपस्थित होने की दशा में केवल आवश्यक होने पर रिमाण्ड, प्रभारी अति. सत्र न्यायाधीश अथवा रिमाण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा दिया जा सकेगा, अभियोग पत्र की प्रस्तुति सीधे विशेष न्यायालय में होगी।</p> <p>4. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का पृष्ठांकन क. सी/ 655/ तीन-6-5/ 18 जबलपुर दिनांक 01.02.2019 तथा मध्यप्रदेश शासन विधि 26 और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 30.01.2019 के अनुसार विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 (1963 का 47) की धारा 20(ख) द्वारा सिविल जिला दमोह की स्थानीय सीमाएं हेतु विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में, अद्योसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों का विचारण करने हेतु।</p> <p>5. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का ज्ञापन क. डी/ 1869/ तीन-6-5/ 10/ तीन-6-6/ 84 जबलपुर दिनांक 18.06.2021 के पालन में पॉक्सो अधिनियम के साथ जिन प्रकरणों में एस.सी./ एस.टी. की धाराएँ सम्मिलित हैं, जिला मुख्यालय दमोह हेतु विचारण का क्षेत्राधिकार हेतु अधिकृत किया गया है।</p> <p>6. बालक न्यायालय से उद्भूत समस्त सत्र प्रकरण के विचारण हेतु डॉ. श्रीमती आरती शुक्ला पाण्डेय, द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह के न्यायालय को मनोनीत किया जाता है।</p> <p>7. मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 7 फरवरी 2020/ विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल दिनांक 24 जनवरी 2020 के अनुसार अनियमित जमा योजना</p> |
|--|--|--|

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  | प्रतिबंध विधेयक अधिनियम, 2019 अंतर्गत आपराधिक प्रकरण व उनसे संबंधित अन्य समस्त कार्यवाहियां।   |
| 5 | सुश्री महिमा कछवाहा,<br>तृतीय जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, एवं<br>विशेष न्यायाधीश एन.<br>डी.पी.एस. दमोह | सिविल<br>जिला एवं<br>सम्पूर्ण सत्र<br>खण्ड, दमोह | <p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित प्रकरण।</p> <p>2. तृतीय जिला न्यायाधीश जिला दमोह, द्वारा निराकृत सिविल मामलों से संबंधित सिविल मामले एवं क्लेम प्रकरणों से संबंधित विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण, प्रतिकर राशि के भुगतान से संबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहियां।</p> <p>3. तृतीय जिला न्यायाधीश दमोह, के द्वारा निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां/विविध दाण्डिक प्रकरण।</p> <p>4. धारा 166(2) मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत पुलिस थाना तेजगढ़, से उत्पन्न क्लेम प्रकरण।</p> <p>5. मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा. कं. 1-3, 2004 / 4823 / 2019 / 21-ब(एक) भोपाल दिनांक 14.10.19 के अनुसार, म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>6. मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियाँ।</p> <p>7. रु. 1,00,00,000 (अंकन—एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद।<br/>(तहसील/राजस्व क्षेत्र दमोह, पथरिया एवं तेढूखेड़ा से संबंधित)</p> <p>8. भू—अर्जन अधिनियम 1894 तथा भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के अंतर्गत मामले।</p> <p>9. एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारण योग्य विशेष प्रकरण एवं समस्त प्रकार के आवेदन पत्र। मान्नीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की अधिसूचना कं. ए/ 1812 / (एनडीपीएस) / तीन-6-3 / 89 जबलपुर दिनांक 14.04.2022 के अनुसार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का 61) के अंतर्गत विशेष प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।</p> <p>10. मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र. के पत्र कं. सी/ 1844 / तीन-6-4 / 10 जबलपुर दिनांक 23.04.22 के पालन में N.I.A द्वारा प्रस्तुत मामले एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 6 | <p><b>श्री प्रदीप कुमार दुबे</b><br/> <b>षष्ठम जिला एवं अति.</b><br/> <b>सत्र न्यायाधीश, दमोह</b><br/> <b>एवं विशेष न्यायाधीश</b><br/> <b>विद्युत अधिनियम,</b><br/> <b>दमोह</b></p>                 | <p>सिविल<br/>जिला एवं<br/>सम्पूर्ण सत्र<br/>खण्ड, दमोह</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित प्रकरण।</li> <li>2. षष्ठम जिला न्यायाधीश जिला दमोह के द्वारा निराकृत सिविल मामलों से संबंधित सिविल मामले एवं क्लेम प्रकरणों से संबंधित विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण, प्रतिकर राशि के भुगतान से संबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहियां।</li> <li>3. धारा 166(2) मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत पुलिस थाना कोतवाली से उत्पन्न क्लेम प्रकरण।</li> <li>4. षष्ठम जिला न्यायाधीश दमोह के द्वारा निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां/ विविध दार्ढिक प्रकरण।</li> <li>5. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक— ए/1810/तीन-6-4/2003, जबलपुर दिनांक 14.04.2022 के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 से 139 के अंतर्गत “दमोह जिले के पुलिस थाना तेंदुखेड़ा, जबेरा, नोहटा, पथरिया, तेजगढ़ एवं तारादेही” के क्षेत्रांतर्गत प्रस्तुत समस्त विशेष दार्ढिक प्रकरण और उनसे संबंधित समस्त प्रकार के परिवाद।</li> <li>6. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क. सी/1336/तीन-2-41/76 जबलपुर दिनांक 21.03.2017 के परिपालन में जिला मुख्यालय दमोह में उपार्पित हुये चिन्हित एवं सनसनी खेज प्रकरणों की सुनवाई व निराकरण हेतु प्राधिकृत।</li> </ol> |
| 7 | <p><b>श्रीमती रजनी प्रकाश</b><br/> <b>बाथम,</b><br/> <b>चतुर्थ जिला एवं अति.</b><br/> <b>सत्र न्यायाधीश, दमोह</b><br/> <b>एवं विशेष न्यायाधीश</b><br/> <b>विद्युत अधिनियम,</b><br/> <b>दमोह</b></p> | <p>सिविल<br/>जिला एवं<br/>सम्पूर्ण सत्र<br/>खण्ड, दमोह</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित प्रकरण।</li> <li>2. चतुर्थ जिला न्यायाधीश जिला दमोह के द्वारा निराकृत सिविल मामलों से संबंधित सिविल मामले एवं क्लेम प्रकरणों से संबंधित विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण, प्रतिकर राशि के भुगतान से संबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहियां।</li> <li>3. धारा 166(2) मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत पुलिस थाना हिण्डोरिया से उत्पन्न क्लेम प्रकरण।</li> <li>4. चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश दमोह एवं सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश दमोह के द्वारा निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां/ विविध दार्ढिक प्रकरण।</li> <li>5. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्र.-ए/2050/तीन-6-4/03,</li> </ol>  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  | <p>जबलपुर दिनांक 05.07.2021 के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 से 139 के अंतर्गत “दमोह जिले के पुलिस थाना कोतवाली, दमोह देहात, हिण्डोरिया” के क्षेत्रांतर्गत प्रस्तुत समस्त विशेष दांडिक प्रकरण और उनसे संबंधित समस्त प्रकार के परिवाद।</p> <p>6. “माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक—ए/2887(OAW)/ तीन—6—6/84—दो जबलपुर दिनांक 26.08.2021 के अनुसार सत्र खण्ड दमोह (जिला मुख्यालय दमोह एवं बाह्य स्टेशन पथरिया तथा तेंदूखेड़ा) (तहसील दमोह, पथरिया, तेंदूखेड़ा) क्षेत्रांतर्गत आने वाले पुलिस थानों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराध (OAW) यथा बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार सहित हत्या एवं उनसे संबद्ध अन्य अपराध के प्रकरण।”</p> |
| 8  | श्री रामसहारे राज,<br>पंचम जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, दमोह   | सिविल<br>जिला एवं<br>सम्पूर्ण सत्र<br>खण्ड, दमोह   | <p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित प्रकरण।</p> <p>2. स्वयं के न्यायालय के एवं (पूर्व में रिक्त न्यायालय पंचम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश दमोह सहित) जिला दमोह के द्वारा निराकृत सिविल मामलों से संबंधित सिविल मामले एवं क्लेम प्रकरणों से संबंधित विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण।</p> <p>3. धारा 166(2) मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत पुलिस थाना तारादेही से उत्पन्न क्लेम प्रकरण।</p> <p>4. द्वितीय जिला न्यायाधीश जिला दमोह के द्वारा निराकृत सिविल मामलों से संबंधित सिविल मामले एवं क्लेम प्रकरणों से संबंधित विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण, प्रतिकर राशि के भुगतान से संबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहियां।</p>                       |
| 09 | श्री किशोर कुमार<br>मिश्रा,<br>द्वितीय जिला एवं<br>अति. सत्र न्यायाधीश,<br>हटा एवं विशेष<br>न्यायाधीश विद्युत<br>अधिनियम, हटा जिला<br>दमोह | सिविल<br>जिला एवं<br>संपूर्ण सत्र<br>खण्ड, दमोह<br>की राजस्व<br>तहसील हटा,<br>पटेरा,<br>बटियागढ़ | <p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित प्रकरण।</p> <p>2. द्वितीय जिला न्यायाधीश हटा, जिला दमोह के द्वारा निराकृत सिविल मामलों से संबंधित सिविल मामले एवं क्लेम प्रकरणों से संबंधित विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण, प्रतिकर राशि के भुगतान से संबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहियां।</p> <p>3. द्वितीय जिला न्यायाधीश हटा, जिला दमोह के द्वारा निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां/विविध दांडिक प्रकरण।</p>  |

|    |  |                             |   |
|----|--|-----------------------------|---|
|    |  |                             | <p>4. भू—अर्जन अधिनियम, 1894 एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>5. ग्राम न्यायाधिकारी, हटा, द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत पारित निर्णयों एवं आदेशों से सबंधित अपील/पुनरीक्षण/अन्य अनुसारिक दाइडक कार्यवाहियाँ।</p> <p>6. सी.पी.सी. की धारा 96 के अंतर्गत नियमित सिविल अपील (प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड हटा, जिला दमोह के न्यायालय से सबंधित)</p> <p>7. सी.पी.सी. की धारा 104 के अंतर्गत विविध सिविल अपील (प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड हटा, जिला दमोह के न्यायालय से सबंधित)</p> <p>8. धारा 166(2) मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत तहसील हटा स्थित पुलिस थाना—हटा, बटियागढ़, मढियादो, रनेह एवं गैसाबाद से उत्पन्न क्लेम प्रकरण।</p> <p>9. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा, जिला दमोह द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरणों से संबंधित अपीलें/पुनरीक्षण एवं उनके द्वारा उपार्पित सत्र प्रकरण।</p> <p>10. स्वयं के न्यायालय में लंबित समस्त जमानत आवेदन पत्र एवं पुलिस थाना हटा, बटियागढ़, मढियादो, रनेह एवं गैसाबाद से सबंधित जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>11. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना कं. डी/4160/तीन-6-4/2003 जबलपुर दिनांक 27.08.2021 के अनुसार अपर सत्र न्यायालय हटा जिला दमोह के क्षेत्रांतर्गत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 से 139 के अंतर्गत तहसील हटा के समस्त पुलिस थाना क्षेत्रांतर्गत प्रस्तुत समस्त विशेष दांडिक प्रकरण और उनसे सबंधित समस्त प्रकार के परिवाद।</p> <p><b>नोट:-</b> द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश, हटा उपार्पित होकर प्राप्त हुए सत्र प्रकरणों में तात्कालिक आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात् प्रकरण रजिस्ट्रेशन हेतु सत्र न्यायालय दमोह में भिजवायेगें।</p> |
| 10 | श्रीमती मंजुल पाण्डेय प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, हटा, | सिविल जिला एवं संपूर्ण सत्र | <p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित प्रकरण।</p> <p>2. प्रथम जिला न्यायाधीश हटा, जिला दमोह के द्वारा</p>  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>जिला दमोह</p> <p>खण्ड, दमोह की राजस्व तहसील हटा, पटेरा, बटियागढ़</p> | <p>निराकृत सिविल मामलों से संबंधित सिविल मामले एवं क्लेम प्रकरणों से संबंधित विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण, प्रतिकर राशि के भुगतान से संबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहियां।</p> <p>3. प्रथम जिला न्यायाधीश हटा, जिला दमोह के द्वारा निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां /विविध दापिङ्क प्रकरण।</p> <p>4. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा, जिला दमोह द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरणों से संबंधित अपील/पुनरीक्षण एवं उनके द्वारा उपार्पित सत्र प्रकरण।</p> <p>5. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक बी/1907/तीन-6-4/57 जबलपुर दिनांक 05.04.2018 के अनुक्रम में सत्र खण्ड दमोह के बाह्य स्टेशन हटा (तहसील हटा, पटेरा एवं बटियागढ़) क्षेत्रांतर्गत आने वाले पुलिस थानों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराध (OAW) यथा बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार सहित हत्या एवं उनसे संबंध अन्य अपराध के प्रकरण तथा सत्र खण्ड दमोह के बाह्य स्टेशन हटा (तहसील हटा, पटेरा एवं बटियागढ़) क्षेत्रांतर्गत आने वाले लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत आपराधिक मामलों की सुनवाई, रिमाण्ड एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहियां पीठासीन अधिकारी द्वारा की जावेगी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) के अवकाश पर होने अथवा अनुपस्थित होने की दशा में केवल आवश्यक होने पर रिमाण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा दिया जा सकेगा। पाक्सो अधिनियम से संबंधित समस्त अभियोग पत्र की प्रस्तुति सीधे विशेष न्यायालय में होगी।</p> <p>6. धारा 166(2) मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत तहसील हटा स्थित पुलिस थाना-पटेरा, कुम्हारी, रजपुरा एवं मगरोन से उत्पन्न क्लेम प्रकरण।</p> <p>7. स्माल-काज कोर्ट द्वारा संज्ञेय ₹ 500 से लेकर ₹ 1000 तक मूल्यांकन के लघुवाद।</p> <p>8. म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 31 के अंतर्गत अपील”।</p> <p>9. ₹ 1,00,00,000(अंकन-एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के नियमत व्यवहार वाद उक्त न्यायालय के सभी प्रकार के सिविल वाद से उत्पन्न विविध सिविल प्रकरण व निष्पादन आवेदन</p> |
|--|---|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>पत्र। (तह0/राजस्व क्षेत्र हटा, पटेरा एवं बटियागढ़ से संबंधित)</p> <p>10. तत्कालीन शृंखला न्यायालय हटा एवं समस्त रिक्त न्यायालय—अति.जिला न्यायाधीश हटा, जिला दमोह से संबंधित समस्त क्लेम/सिविल/आपराधिक प्रकरणों से संबंधित मामले एवं क्लेम प्रकरणों से संबंधित विविध प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण, प्रतिकर राशि के भुगतान से संबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहियां।</p> <p>11. मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-3, 2004/4823/2019/21-ब (एक) भोपाल दिनांक 14.10.19 के अनुसार, म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>12. मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियाँ।</p> <p>13. स्वयं के न्यायालय में लंबित समस्त प्रकरणों में प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र तथा पुलिस थाना पटेरा, कुम्हारी, रजपुरा एवं मगरोन से संबंधित जमानत आवेदन पत्र। पुलिस थाना हटा, बटियागढ़, मढ़ियादो, रनेह, गैसाबाद, पटेरा, कुम्हारी, रजपुरा एवं मगरोन क्षेत्राधिकार अंतर्गत पाँक्सो अधिनियम से संबंधित समस्त जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>14. व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत नियमित सिविल अपील (समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हटा, जिला दमोह के न्यायालय से संबंधित)</p> <p>15. व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 104 के अंतर्गत विविध सिविल अपील (समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हटा, जिला दमोह के न्यायालय से संबंधित)</p> <p>16. हिन्दू विवाह अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकार के आवेदन पत्र।</p> <p><b>नोट :—</b> प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश, हटा उपर्युक्त होकर प्राप्त हुए सत्र प्रकरणों में तात्कालिक आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात् प्रकरण रजिस्ट्रेशन हेतु सत्र न्यायालय दमोह में भिजवायेंगे</p> |
|--|--|--|

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 11 | <b>श्री जितेन्द्र नारायण सिंह,</b><br>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह          | सिविल जिला दमोह की तहसील दमोह, पथरिया, तेंदूखेड़ा, जबेरा क्षेत्र | <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन।</li> <li>मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 एवं 172 के अंतर्गत अपीलें।</li> </ol>  |
| 12 | <b>श्री राम मनोहर सिंह दांगी,</b><br>द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, एवं ग्राम न्यायाधिकारी दमोह                    | सिविल जिला दमोह की तहसील दमोह व जबेरा क्षेत्र                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन।</li> <li>माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के ज्ञापन कं. सी / 1622 / दो—15—18 / 01 (संशोधित) जबलपुर दिनांक 13.04.2022 के अनुसार ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत समस्त प्रकरण तथा कार्यवाहियां।</li> <li>दमोह नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर विकासखण्ड दमोह, पथरिया, जबेरा एवं तेंदूखेड़ा जिला दमोह के स्थानीय क्षेत्र के न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय में श्रवण योग्य सिविल प्रकरण (मध्यप्रदेश राज पत्र दिनांक 03.07.09 की अनुसूची क्रमांक—2 के अनुसार)।</li> <li>राजस्व तहसील दमोह की जनपद पंचायत दमोह के स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय में श्रवण योग्य दांडिक प्रकरण (म.प्र. राजपत्र दिनांक 03.07.09 में अनुसूची क्रमांक 1 के अनुसार)</li> <li>जिला मुख्यालय दमोह क्षेत्र से उत्पन्न सभी वन एवं वन्य अधिनियम तथा खनन अधिनियम अंतर्गत संपूर्ण कार्यवाहियां।</li> </ol> |
| 13 | <b>श्री प्रकाश कुमार उर्झके,</b><br>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, दमोह के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दमोह | सिविल जिला दमोह की तहसील दमोह व जबेरा क्षेत्र                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन।</li> <li>स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां एवं निष्पादन प्रकरण।</li> <li>माह मई 2022 से माह अगस्त 2022 तक ₹ 5,00,001 से 1,00,00,000 तक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद। (तह0 दमोह, जबेरा, पथरिया, तेंदूखेड़ा से संबंधित)</li> <li>स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामलें। (तह0 दमोह, जबेरा, पथरिया, तेंदूखेड़ा से संबंधित)</li> <li>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दमोह के</li> </ol>   |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   |   | न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामले।  |
| 14 | <b>श्री सुशील कुमार अग्रवाल,</b><br>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दमोह के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, दमोह | सिविल जिला दमोह की तहसील दमोह व जबेरा क्षेत्र | <p>न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामले।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन।</li> <li>स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामले।</li> <li>स्मालकॉर्ट कोर्ट द्वारा संज्ञेय रूपये 01 से लेकर रूपये 500 तक मूल्यांकन के लघुवाद।</li> <li>भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र।</li> <li>माह सितंबर 2022 से माह दिसम्बर 2022 तक ₹ 5,00,001 से 1,00,00,000 तक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद। (तह0 दमोह, जबेरा, पथरिया, तेंदूखेड़ा से संबंधित)</li> <li>स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामले। (तह0 दमोह, जबेरा, पथरिया, तेंदूखेड़ा से संबंधित)</li> <li>द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामले।</li> </ol> |
| 15 | <b>सुश्री सुनीता रावत,</b><br>तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दमोह   | सिविल जिला दमोह की तहसील दमोह व जबेरा क्षेत्र | <p>न्यायालय द्वारा समय—समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामले।</li> <li>माह मई 2022 से माह अगस्त 2022 तक रूपये 01 से रूपये 5,00,000 तक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार—वाद।</li> <li>जिला मुख्यालय दमोह एवं तहसील जबेरा अंतर्गत विशिष्टतया महिलाओं के प्रति कारित अपराधों से उत्पन्न सभी मामले एवं घरेलू हिंसा से संबंधित मामले।</li> </ol>   |
| 16 | <b>श्रीमती शैफाली सिंह,</b><br>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड एवं प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड दमोह           | सिविल जिला दमोह की तहसील दमोह व जबेरा क्षेत्र | <p>न्यायालय द्वारा समय—समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामले।</li> <li>माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के पृष्ठाकंन कं. ए/1809/तीन-6-4/72-9 जबलपुर दिनांक 14.04.2022 एवं महिला एवं बाल विकास भोपाल के आदेश दिनांक 20.04.2018 के अनुसार किशोर</li> </ol>  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  | न्याय बोर्ड दमोह के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार।   |
| 17 | श्रीमती परिधि गुप्ता,<br>द्वितीय व्यवहार<br>न्यायाधीश, कनिष्ठ<br>खण्ड दमोह   | सिविल जिला<br>दमोह की<br>तहसील दमोह<br>व जबेरा क्षेत्र       | <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन।</li> <li>स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामले।</li> <li>माह सितंबर 2022 से माह दिसम्बर 2022 तक रूपये 01 से रूपये 5,00,000 तक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार—वाद।</li> </ol>   |
| 18 | श्री देवेन्द्र अतुलकर<br>व्यवहार न्यायाधीश<br>वरिष्ठ खण्ड, हटा,<br>जिला दमोह एवं<br>न्यायाधिकारी ग्राम<br>न्यायालय, हटा, जिला<br>दमोह। | सिविल जिला<br>दमोह की<br>तहसील हटा,<br>पटेरा एवं<br>बटियागढ़ | <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन।</li> <li>स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामले।</li> <li>मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 तथा 172 के अंतरित प्रकरण।</li> </ol>   |
|    |  | विकासखण्ड<br>हटा, पटेरा एवं<br>बटियागढ़                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>राजस्व तहसील हटा की जनपद पंचायत हटा के स्थानीय क्षेत्र के न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय में श्रवण योग्य दांडिक प्रकरण (मध्यप्रदेश राज पत्र दिनांक 03.07.09 की अनुसूची क्रमांक 1 के अनुसार)</li> <li>हटा नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर जनपद पंचायत हटा के स्थानीय क्षेत्र के न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय में श्रवण योग्य सिविल प्रकरण (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.07.09 की अनुसूची क्रमांक 2 के अनुसार)</li> <li>माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के ज्ञापन कं. सी/1622/दो-15-18/01(संशोधित) जबलपुर दिनांक 13.04.2022 के अनुसार ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत समस्त प्रकरण तथा कार्यवाहियां।</li> <li>जिला मुख्यालय हटा (हटा/पटेरा/बटियागढ़) क्षेत्र से उत्पन्न सभी वन एवं वन्य अधिनियम तथा खनन अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां।</li> </ol> |
| 19 | सुश्री दीप्ती ठाकुर,<br>व्यवहार न्यायाधीश<br>वरिष्ठ खण्ड, हटा  | सिविल जिला<br>दमोह की<br>तहसील हटा,<br>पटेरा एवं<br>बटियागढ़ | <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन।</li> <li>स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामले।</li> <li>₹ 5,00,001 (पाँच लाख एक) से ₹ 1,00,00,000 (एक करोड़) तक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद।</li> </ol>  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  | <p>4. स्मालकाज कोर्ट द्वारा संज्ञेय ₹ 01 से लेकर ₹ 500 तक मूल्यांकन के लघुवाद।</p> <p>5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन।</p> <p>6. तहसील क्षेत्र हटा/पटेरा/बटियागढ़ अंतर्गत विशिष्टतया महिलाओं के प्रति कारित अपराधों से उत्पन्न सभी मामले एवं घरेलू हिंसा से संबंधित मामले।</p>  |
| 20 | <b>श्री सुनील कुमार खरे,</b><br>द्वितीय व्यवहार<br>न्यायाधीश कनिष्ठ<br>खण्ड, हटा | सिविल जिला<br>दमोह की<br>तहसील हटा,<br>पटेरा एवं<br>बटियागढ़ | <p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन।</p> <p>2. स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामले।</p> <p>3. माह मई 2022 से माह अगस्त 2022 तक ₹ 01 से 5,00,000 तक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद।</p>   |
| 21 | <b>सुश्री श्रुति जैन,</b><br>प्रथम व्यवहार<br>न्यायाधीश कनिष्ठ<br>खण्ड, हटा      | सिविल जिला<br>दमोह की<br>तहसील हटा,<br>पटेरा एवं<br>बटियागढ़ | <p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन।</p> <p>2. स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामले।</p> <p>3. माह सितंबर 2022 से माह दिसम्बर 2022 तक ₹ 01 से 5,00,000 तक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद।</p>   |
| 22 | <b>श्री राजेन्द्र वर्मन,</b><br>व्यवहार न्यायाधीश<br>कनिष्ठ खण्ड, पथरिया         | सिविल जिला<br>दमोह की<br>तहसील<br>पथरिया                     | <p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन।</p> <p>2. स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामले।</p> <p>3. रुपये 01 से रुपये 5.00,000 तक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद तहसील पथरिया।</p> <p>4. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 139 तथा 172 के अंतर्गत अपील।</p> <p>5. न्यायालय द्वारा निराकृत वादों से उत्पन्न विविध न्यायिक कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले।</p> <p>6. न्यायालय द्वारा निराकृत वादों से उत्पन्न विविध न्यायिक कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले।</p> <p>7. तहसील पथरिया क्षेत्र से उत्पन्न सभी वन एवं वन्य अधिनियम तथा खनन अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियाँ।</p> <p>8. तहसील क्षेत्र पथरिया अंतर्गत विशिष्टतया महिलाओं के प्रति कारित अपराधों से उत्पन्न सभी मामले एवं घरेलू हिंसा से संबंधित मामले।</p> |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 23 | <b>श्री जगमोहन सिंह,</b><br>व्यवहार न्यायाधीश<br>कनिष्ठ खण्ड,<br>तेंदूखेड़ा | सिविल जिला<br>दमोह की<br>तहसील<br>तेंदूखेड़ा | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित व्यवहार वाद, विविध सिविल वाद एवं निष्पादन आवेदन।</li> <li>2. स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत वाद से उद्भूत विविध न्यायिक कार्यवाहियां और निष्पादन मामले।</li> <li>3. रुपये 01 से रुपये 5,00,000 तक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार—वाद तहसील तेंदूखेड़ा।</li> <li>4. तहसील तेंदूखेड़ा क्षेत्र से उत्पन्न सभी वन एवं वन्य अधिनियम तथा खनन अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां।</li> <li>5. तहसील क्षेत्र तेंदूखेड़ा अंतर्गत अंतर्गत विशिष्टतया महिलाओं के प्रति कारित अपराधों से उत्पन्न सभी मामले एवं घरेलू हिंसा से संबंधित मामले।</li> </ol> |
|----|---|--|---|

### खण्ड (2)

#### —:: अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार आदेश ::—

| क्र. | पीठासीन अधिकारी  | प्रथम प्रभार  | द्वितीय प्रभार  | तृतीय प्रभार  |
|------|--|---|---|---|
| 1    | प्रधान जिला एवं सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह  | श्री शरतचंद्र सक्सेना,<br>विशेष न्यायाधीश,<br>अ.जा. / अ.ज.जा.<br>अधिनियम, दमोह  | श्री संजय कुमार कस्तवार,<br>प्रथम जिला एवं अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह   | डॉ. श्रीमती आरती शुक्ला<br>पाण्डेय<br>द्वितीय जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, दमोह                                   |
| 2    | श्री शरतचंद्र सक्सेना,<br>विशेष न्यायाधीश,<br>अ.जा. / अ.ज.जा.<br>अधिनियम, दमोह                                       | श्री संजय कुमार<br>कस्तवार,<br>प्रथम जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, दमोह  | डॉ. श्रीमती आरती शुक्ला<br>पाण्डेय<br>द्वितीय जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, दमोह                                   | सुश्री महिमा कछवाहा,,<br>तृतीय जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, तथा<br>विशेष न्यायाधीश एन.डी.<br>पी.एस. अधिनियम, दमोह |
| 3    | श्री संजय कुमार कस्तवार,<br>प्रथम जिला एवं अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह  | डॉ. श्रीमती आरती शुक्ला<br>पाण्डेय<br>द्वितीय जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, दमोह                                   | सुश्री महिमा कछवाहा,,<br>तृतीय जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, तथा<br>विशेष न्यायाधीश एन.डी.<br>पी.एस. अधिनियम, दमोह | श्रीमती रजनी प्रकाश<br>बाथम<br>चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह   |
| 4    | डॉ. श्रीमती आरती शुक्ला<br>पाण्डेय<br>द्वितीय जिला एवं अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह                                  | सुश्री महिमा कछवाहा,,<br>तृतीय जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, तथा<br>विशेष न्यायाधीश एन.डी.<br>पी.एस. अधिनियम, दमोह | श्रीमती रजनी प्रकाश<br>बाथम<br>चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह   | श्री रामसहारे राज<br>पंचम जिला एवं अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह   |
| 5    | सुश्री महिमा कछवाहा,,<br>तृतीय जिला एवं अति. सत्र<br>न्यायाधीश, तथा विशेष<br>न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.<br>अधिनियम, दमोह | श्री शरतचंद्र सक्सेना,<br>विशेष न्यायाधीश,<br>अ.जा. / अ.ज.जा.<br>अधिनियम, दमोह  | श्री संजय कुमार कस्तवार,<br>प्रथम जिला एवं अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह   | डॉ. श्रीमती आरती शुक्ला<br>पाण्डेय<br>द्वितीय जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, दमोह                                   |
| 6    | श्री प्रदीप कुमार दुबे,<br>षष्ठम जिला एवं अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह   | श्रीमती रजनी प्रकाश<br>बाथम<br>चतुर्थ जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, दमोह   | श्री रामसहारे राज<br>पंचम जिला एवं अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह   | सुश्री महिमा कछवाहा,,<br>तृतीय जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, तथा<br>विशेष न्यायाधीश एन.डी.                         |

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
|    |   |   |   | पी.एस. अधिनियम, दमोह  |
| 7  | श्रीमती रजनी प्रकाश बाथम<br>चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह              | श्री संजय कुमार<br>कस्तवार,<br>प्रथम जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, दमोह            | श्री शरतचंद्र सक्सेना,<br>विशेष न्यायाधीश,<br>अ.जा./अ.ज.जा.<br>अधिनियम, दमोह        | सुश्री महिमा कछवाहा,,<br>तृतीय जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, तथा<br>विशेष न्यायाधीश एन.डी.<br>पी.एस. अधिनियम, दमोह |
| 8  | श्री रामसहारे राज<br>पंचम जिला एवं अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह                       | डॉ. श्रीमती आरती शुक्ला<br>पाण्डेय<br>द्वितीय जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, दमोह   | श्री संजय कुमार कस्तवार,<br>प्रथम जिला एवं अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह             | श्रीमती रजनी प्रकाश<br>बाथम<br>चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह   |
| 9  | श्री किशोर कुमार मिश्रा,<br>द्वितीय जिला एवं अति. सत्र<br>न्यायाधीश, हटा जिला<br>दमोह | श्रीमती मंजुल पाण्डेय,<br>प्रथम जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, हटा<br>जिला दमोह     | श्री प्रदीप कुमार दुबे,<br>षष्ठम जिला एवं अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह              | श्रीमती रजनी प्रकाश<br>बाथम<br>चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह   |
| 10 | श्रीमती मंजुल पाण्डेय,<br>प्रथम जिला एवं अति. सत्र<br>न्यायाधीश, हटा जिला<br>दमोह     | श्री किशोर कुमार मिश्रा,<br>द्वितीय जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, हटा<br>जिला दमोह | डॉ. श्रीमती आरती शुक्ला<br>पाण्डेय<br>द्वितीय जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, दमोह | श्री संजय कुमार कस्तवार,<br>प्रथम जिला एवं अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह   |

### द्वितीय

व्यवहार न्यायाधीशगण वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड के अवकाश पर होने अथवा अन्यथा अनुपस्थित होने की अवस्था में उनके न्यायालय का अत्यावश्यक सिविल कार्य निम्नांकित तालिका में दिये गये कम के अनुसार प्रभारी न्यायाधीश द्वारा संपन्न किया जायेगा, जो नीचे अंकित शर्तों के आधीन होगा :—

| क्र. | पीठासीन अधिकारी  | प्रथम प्रभार  | द्वितीय प्रभार  | तृतीय प्रभार  |
|------|--|---|---|---|
| 11   | श्री जितेन्द्र नारायण सिंह<br>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश<br>वरिष्ठ खण्ड, दमोह एवं<br>मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,<br>दमोह              | श्री राम मनोहर सिंह दांगी,<br>द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश<br>वरिष्ठ खण्ड, दमोह एवं<br>ग्राम न्यायाधिकारी, दमोह                  | श्री प्रकाश कुमार उर्झके,<br>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश<br>वरिष्ठ खण्ड, दमोह के<br>न्यायालय के तृतीय<br>अतिरिक्त न्यायाधीश, दमोह       | श्री सुशील कुमार अग्रवाल,<br>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश<br>वरिष्ठ खण्ड, दमोह के<br>न्यायालय के प्रथम<br>अतिरिक्त न्यायाधीश, दमोह |
| 12   | श्री राम मनोहर सिंह<br>दांगी,<br>द्वितीय व्यवहार<br>न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड,<br>दमोह एवं ग्राम<br>न्यायाधिकारी, दमोह               | श्री प्रकाश कुमार उर्झके,<br>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश<br>वरिष्ठ खण्ड, दमोह के<br>न्यायालय के तृतीय<br>अतिरिक्त न्यायाधीश, दमोह | श्री सुशील कुमार<br>अग्रवाल,<br>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश<br>वरिष्ठ खण्ड, दमोह के<br>न्यायालय के प्रथम<br>अतिरिक्त न्यायाधीश,<br>दमोह | श्री जितेन्द्र नारायण सिंह<br>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश<br>वरिष्ठ खण्ड, दमोह एवं<br>मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,<br>दमोह           |
| 13   | श्री प्रकाश कुमार उर्झके,<br>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश<br>वरिष्ठ खण्ड, दमोह के<br>न्यायालय के तृतीय<br>अतिरिक्त न्यायाधीश,<br>दमोह | श्री सुशील कुमार अग्रवाल,<br>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश<br>वरिष्ठ खण्ड, दमोह के<br>न्यायालय के प्रथम<br>अतिरिक्त न्यायाधीश, दमोह | श्री जितेन्द्र नारायण सिंह<br>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश<br>वरिष्ठ खण्ड, दमोह एवं<br>मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,<br>दमोह                 | श्री राम मनोहर सिंह दांगी,<br>द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश<br>वरिष्ठ खण्ड, दमोह एवं<br>ग्राम न्यायाधिकारी, दमोह                  |
| 14   | श्री सुशील कुमार<br>अग्रवाल,<br>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश  | श्री राम मनोहर सिंह दांगी,<br>द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश<br>वरिष्ठ खण्ड, दमोह एवं  | श्री प्रकाश कुमार उर्झके,<br>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश<br>वरिष्ठ खण्ड, दमोह के  | श्री जितेन्द्र नारायण सिंह<br>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश<br>वरिष्ठ खण्ड, दमोह एवं  |



|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
| 23 | श्री जगमोहन सिंह,<br>व्यवहार न्यायाधीश<br>कनिष्ठ खण्ड, तेंदूखेड़ा | श्रीमती शैफाली सिंह, प्रथम<br>व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ<br>खण्ड दमोह | श्रीमती परिणि गुप्ता,<br>द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश<br>कनिष्ठ खण्ड दमोह | सुश्री सुनीता रावत,<br>तृतीय व्यवहार न्यायाधीश<br>कनिष्ठ खण्ड दमोह |
|----|---|---|--|--|

## नोट –

- 1 :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने अथवा अन्यथा किसी कारण से उपलब्ध न होने की अवस्था में अत्यावश्यक कार्य विशेष न्यायाधीश (एस.सी. / एस.टी. अत्याचार निवारण अधिनियम) द्वारा संपादित किया जायेगा।
- 2 :- समस्त प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र (विशेष प्रकरणों एनडीपीएस, एस.सी. / एस.टी., पॉक्सों, एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को छोड़कर) निम्न तालिका अनुसार दर्शित पीठासीन अधिकारीगण के द्वारा निराकृत किये जावेंगे तथा पश्चावर्ती आवेदन पत्र उस न्यायालय में स्वयं अंतरित समझे जायेंगे, जिसके द्वारा पूर्व आवेदन पत्र निराकृत किये गये हैं। न्यायालय रिक्त होने अथवा पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने की दशा में, उनके स्थान पर पदस्थ होने वाले पीठासीन अधिकारी के संबंध में भी एवं उनके प्रभार वाले न्यायाधीशगण के संबंध में यह कार्य वितरण पत्रक यथावत् लागू होगा। विशेष प्रकरण एनडीपीएस, एस.सी. / एस.टी., पॉक्सों, एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण खण्ड क. 2 (अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार आदेश) में दर्शित प्रभारी अधिकारीगण द्वारा किया जावेगा।

| थाना       | प्रथम प्रभार                                    | द्वितीय प्रभार  | तृतीय प्रभार  | चतुर्थ प्रभार   |
|------------|---|---|---|---|
| कोतवाली    | विशेष न्यायाधीश,<br>अ.ज. / अ.ज.जा.<br>अधि.      | प्रथम जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, दमोह   | तृतीय जिला एवं<br>अति. सत्र<br>न्यायाधीश, एवं<br>विशेष<br>न्यायाधीश एन.डी.<br>पी.एस.अधि. दमोह | द्वितीय जिला एवं<br>अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह  |
| दमोह देहात | विशेष न्यायाधीश,<br>अ.ज. / अ.ज.जा.<br>अधि. दमोह | तृतीय जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, एवं<br>विशेष न्यायाधीश एन.<br>डी.पी.एस.अधि. दमोह | द्वितीय जिला एवं<br>अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह  | षष्ठम जिला एवं<br>अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह  |
| यातायात    | चतुर्थ जिला एवं<br>अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह | षष्ठम जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, दमोह   | द्वितीय जिला एवं<br>अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह  | प्रथम जिला एवं<br>अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह  |
| हिण्डोरिया | पंचम जिला एवं<br>अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह   | द्वितीय जिला एवं अति.<br>सत्र न्यायाधीश, दमोह   | प्रथम जिला एवं<br>अति. सत्र<br>न्यायाधीश, दमोह  | तृतीय जिला एवं<br>अति. सत्र<br>न्यायाधीश, एवं<br>विशेष<br>न्यायाधीश एन.डी.<br>पी.एस.अधि. दमोह |



|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   | पी.एस.अधि. दमोह  |  |  |  |
| तारादेही  | चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह                                      | द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह | प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह                                       | तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, एवं विशेष न्यायाधीश एन.डी. पी.एस.अधि. दमोह |
| महिला थाना जिला दमोह  | चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह                                      | द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह | तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, एवं विशेष न्यायाधीश एन.डी. पी.एस.अधि. दमोह | प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह                                       |
| वन परिक्षेत्र (तेंदूखेड़ा, तारादेही, झालौन, तेजगढ़, झापन एवं सरा) | तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, एवं विशेष न्यायाधीश एन.डी. पी.एस.अधि. दमोह | षष्ठम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह   | चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह                                      | पंचम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, दमोह  |

3 :- विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी. अत्याचार निवारण अधिनियम) न्यायालय के रिक्त होने अथवा पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित होने की दशा में उनके न्यायालय को निराकरण हेतु प्राप्त अथवा लंबित आवश्यक प्रकृति के आवेदन पत्रों का निराकरण मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ अति. सत्र न्यायाधीश के द्वारा किया जावेगा अथवा वरिष्ठ अति. सत्र न्यायाधीशगण की अनुपस्थिति की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रत्येक न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायाधीश की पीठासीन की हैसियत से उक्त कार्य संपादित कर सकेंगे।

4 :- विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एकट) न्यायालय के रिक्त होने अथवा पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित होने की दशा में उनकी न्यायालय को निराकरण हेतु प्राप्त अथवा लंबित आवश्यक प्रकृति के आवेदन पत्रों का निराकरण मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ अति. सत्र न्यायाधीश के द्वारा किया जावेगा अथवा वरिष्ठ अति. सत्र न्यायाधीशगण की अनुपस्थिति की दशा में प्रत्येक न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायाधीश के पीठासीन की हैसियत से उक्त कार्य संपादित कर सकेंगे।

5 :- विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), दमोह की अनुपस्थिति में सिर्फ उक्त विशेष अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरणों से संबंधित अत्यावश्यक कार्य विशेष न्यायाधीश (एस.सी., एस.टी. अ.नि. अधिनियम) द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। यदि विशेष न्यायाधीश (एस.सी., एस.टी. अ.नि. अधिनियम) भी अवकाश

- पर हों अथवा उनका न्यायालय रिक्त हो, तो ऐसे अत्यावश्यक मामले तृतीय अपर अति. सत्र न्यायाधीश दमोह द्वारा सुने जायेंगे।
- 6 :- उपरोक्तानुसार व्यवहार न्यायाधीश की कार्य व्यवस्था में दमोह जिला मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश द्वारा एवं यदि जिला मुख्यालय पर कोई भी व्यवहार न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो हटा में उपलब्ध वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश द्वारा अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई की जायेगी। ग्रीष्मकालीन अथवा शीतकालीन अवकाश या दीर्घ अवकाश के दौरान अत्यावश्यक सिविल मामलों की सुनवाई भी इसी व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।
- 7 :- किसी भी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण होने की दशा में उनके स्थान पर पदस्थ होने वाले पीठासीन अधिकारी के संबंध में भी यह कार्य वितरण पत्रक यथावत् लागू होगा।
- 8 :- प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश दमोह के अतिरिक्त न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) दमोह के न्यायालय के द्वारा पूर्व में निराकृत सिविल एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रकरणों से उद्भूत विविध एवं निष्पादन संबंधी कार्यवाहियां पंचम जिला न्यायाधीश दमोह द्वारा संपादित की जायेंगी।
- 9 :- व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दमोह के रिक्त न्यायालयों के मामलों से संबंधित समस्त विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दमोह के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा संपादित की जायेंगी।
- 10 :- व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दमोह के रिक्त न्यायालयों एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दमोह के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रैनी जज) दमोह के रिक्त न्यायालयों द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से उद्भूत समस्त विविध, सिविल वाद एवं निष्पादन कार्यवाहियां तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दमोह के द्वारा संपादित की जायेंगी।
- 11 :- वरिष्ठ खण्ड, हटा जिला दमोह के रिक्त न्यायालय से संबंधित समस्त विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हटा जिला दमोह के द्वारा संपादित की जायेंगी।
- 12 :- व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, हटा जिला दमोह के रिक्त न्यायालय से संबंधित समस्त विविध एवं निष्पादन संबंधी कार्यवाहियां द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, हटा जिला दमोह द्वारा संपादित की जायेंगी।
- 13 :- व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पथरिया जिला दमोह के रिक्त न्यायालय से संबंधित विविध सिविल वाद एवं निष्पादन सम्बन्धी कार्यवाहियां प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दमोह के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दमोह द्वारा संपादित की जायेंगी।
- 14 :- प्रथम जिला न्यायाधीश दमोह के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, (ट्रैनी जज) के न्यायालय रिक्त होने से उनके द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से उद्भूत विविध सिविल वाद एवं निष्पादन कार्यवाहियों के लिए तृतीय जिला न्यायाधीश दमोह को प्राधिकृत किया जाता है।
- 15 :- सप्तम जिला न्यायाधीश दमोह का न्यायालय रिक्त होने से उनके द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों एवं क्लेम प्रकरणों से संबंधित उद्भूत विविध सिविल वाद, निष्पादन कार्यवाहियों, प्रतिकर राशि के भुगतान से संबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य

सुसंगत कार्यवाहियों के लिए चतुर्थ जिला न्यायाधीश दमोह को प्राधिकृत किया जाता है।

**16 :-** जिला रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट दमोह के अवकाश/प्रशिक्षण अवधि में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड दमोह के न्यायालय के तृतीय अति. व्यवहार न्यायाधीश दमोह इंजार्च न्यायाधीश होगे तथा दोनों न्यायिक अधिकारियों की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दमोह के न्यायालय के प्रथम अति.

न्यायाधीश दमोह अत्यावश्यक कार्यभार देखेंगे।

**17 :-** कार्य विभाजन आदेश के खण्ड क्रमांक 2 की तालिका में उल्लेखित तीनों प्रभारी अधिकारी के अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में खण्ड क्रमांक-2 की तालिका के आगामी सरल क्रमांक में दर्शित प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्य सम्पादित किया जावेगा।

**18 :-** व्यवहार न्यायाधीशगण (वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड) का सिविल वाद मूल्यांकन का क्षेत्राधिकार, यदि वर्ष 2023 में नवीन कार्य विभाजन पत्रक तत्काल निर्मित नहीं होता है तो आगामी सिविल वाद मूल्यांकन का क्षेत्राधिकार उसी प्रकार उतने ही माहों हेतु रोटेट होता रहेगा।

उक्त आदेश दिनांक 01.05.2022 से प्रभावशील होगा।

**स्थान – दमोह**

**दिनांक—**

(श्रीमती रेणुका कंचन)  
प्रधान जिला न्यायाधीश, दमोह<sup>१</sup>  
(मध्यप्रदेश)